**भारत सरकार**
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या : *298**
**उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समक्ष चुनौतियां**

***298. श्री छोटेलाल:**
**एडवोकेट चन्द्र शेखर:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) औपचारिकीकरण और समावेशन, वित्त, बाजार, प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण की सीमित सुलभता, बुनियादी ढांचे की बाधाओं और कौशल विकास संबंधी समस्याओं सहित अन्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन बाधाओं को दूर करने, एमएसएमई को सुदृढ़ करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्या पहल/उपाय कर रही है?

**उत्तर**
**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री**
**(श्री जीतन राम मांझी)**

(क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *298, जिसका उत्तर दिनांक 20.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) : निवेश और टर्नओवर के दो मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिभाषित करने हेतु दिनांक 01.07.2020 को एक संशोधित परिभाषा को अपनाया गया था और एमएसएमई के पंजीकरण के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को एमएसएमई के औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई थी। पंजीकृत एमएसएमई का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:-

| देश में यूआरपी और यूएपी पर पंजीकृत एमएसएमई का वर्ष-वार विवरण | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वित्त वर्ष | दिनांक 31.03.2021 तक | दिनांक 31.03.2022 तक | दिनांक 31.03.2023 तक | दिनांक 31.03.2024 तक | दिनांक 15.03.2025 तक |
| अखिल भारत | 28,29,746 | 79,52,575 | 1,64,99,727 | 4,13,93,255 | 6,13,37,576 |

किसी उद्यम के एक-बार औपचारिकरण होने के बाद, वह संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता संबंधी मानदंडों को पूर्ण करने के अध्यधीन विभिन्न स्कीमों के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है। सरकार की विभिन्न स्कीमों और उपायों के तहत समग्रता सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रोत्साहनों के लिए प्रावधान किए गए हैं। उदाहरणत: सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, विभिन्न श्रेणियों के ऋणों हेतु 90% तक गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रुपए (दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी) की सीमा तक कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रदान की गई गारंटियों की संख्या और अनुमोदित गारंटियों की राशि नीचे दी गई है:

| **अवधि** | **वर्ष** 2000-01 **से** 2019-2020 **तक** | **वर्ष** 2020-2021 **से** 2024-2025 **तक** |
|---|---|---|
| **अनुमोदित गारंटियों की संख्या** | 43,53,591 | 64,81,482 |
| **अनुमोदित गारंटियों की राशि (करोड़ रुपए में)** | 2,28,704 | 6,55,987 |

(ख) : एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने और उन्हें सुदृढ़ करने हेतु, सरकार कई उपायों का कार्यान्वयन करती है, जिसमें अन्य के साथ-साथ उद्यमों का औपचारिकीकरण करने के उपाय, वित्तीय सहायता तक पहुंच प्रदान करने के उपाय, विपणन सहायता, प्रौद्योगिकीय सहायता, अवसंरचना, कौशल आदि के लिए उपाय शामिल हैं।

(i) सीजीएस के अतिरिक्त, वित्त तक सुगम पहुंच प्रदान करने के लिए बैंक ऋण पर मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए संस्थागत वित्त पर अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले एमएसई को 25% सब्सिडी के प्रावधान के साथ विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना जैसी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। पीएमईजीपी के तहत सहायता प्रदान इकाइयों का विवरण नीचे दिया गया है:

| वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 तक पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त इकाइयों का विवरण | | | |
|---|---|---|---|
| सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या | संस्वीकृत ऋण राशि | मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी | सृजित रोजगार के अवसर |
| 6.86 लाख (सूक्ष्म उद्यम) | 53,296 करोड़ रुपए | 19,739 करोड़ रुपए | 54 लाख |

(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को एक सुनिश्चित मार्केट शेयर प्रदान करता है। खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस) व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत एमएसई की सहभागिता, विक्रेता विकास कार्यक्रम, आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाने, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से बाजार तक पहुंच हेतु एमएसई के लिए कई लाभ प्रदान करती है। पीएमएसएस के विभिन्न घटकों के तहत लाभान्वित उद्यमों की संख्या इस प्रकार है:

| वित्त वर्ष | लाभान्वित उद्यमों की संख्या | व्यय (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|
| 2020-21 | 3,276 | 12.48 |
| 2021-22 | 2,332 | 5.17 |
| 2022-23 | 22,998 | 27.49 |
| 2023-24 | लगभग 35,000 | 68.69 |

(iii) देश भर में प्रौद्योगिकी केंद्रों/टूल रूम का नेटवर्क एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने में आधुनिक विनिर्माण प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण और कौशल तथा व्यावसायिक परामर्शी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में एमएसएमई की सहायता कर रहा है। प्रमाणन के स्तरों को बेहतर प्रभावकारिता और गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए जेड 2.0 स्कीम की शुरुआत की गई है। एमएसई को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए, व्यापार सक्षमता और विपणन स्कीम की शुरुआत की गई थी।

(iv) सरकार मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना और नए/मौजूदा औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर एमएसई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

(v) उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम देश में नए उद्यमों को प्रोत्साहित, मौजूदा एमएसएमई का क्षमता निर्माण और उद्यमिता संस्कृति का संवर्धन करता है।

*****